रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 745] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, दिसम्बर 26, 2019/पौष 5, 1941
No. 745] NEW DELHI, THURSDAY, DECEMBER 26, 2019/PAUSHA 5, 1941

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 26 दिसम्बर, 2019

सा.का.नि. 952(अ).—कतिपय प्रारूप नियम अर्थात् पर्यावरण (संरक्षण) संशोधन नियम, 2018, पर्यावरण (संरक्षण) नियम, 1986 के नियम 5 के उपनियम (3) की अपेक्षानुसार भारत के राजपत्र, असाधारण, में भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की अधिसूचना संख्यांक सा.का.नि. 1173(अ), तारीख 5 दिसंबर, 2018 द्वारा प्रकाशित किए गए थे, जिसमें उन सभी व्यक्तियों से, जिनके उससे प्रभावित होने की संभावना है, एतद्वारा सूचित किया जाता है कि उक्त प्रारूप अधिसूचना पर उस तारीख से, जिसको इस अधिसूचना को अंतर्विष्ट करने वाले भारत के राजपत्र की प्रतियां जनसाधारण को उपलब्ध करा दी जाती हैं, साठ दिन की अवधि की समाप्ति पर या उसके पश्चात् विचार किया जाएगा;

और उपरोक्त अधिसूचना में अंतर्विष्ट राजपत्र की प्रतियां जन साधारण के लिए 5 दिसंबर, 2018 तक उपलब्ध थी ;

और, केंद्रीय सरकार द्वारा, पणधारियों और सभी व्यक्तियों से आक्षेप और सुझाव प्राप्त कर उपरोक्त अधिसूचना की प्रतिक्रया पर सम्यक् रूप से विचार किया गया;

अत:, अब, केंद्रीय सरकार पर्यावरण (संरक्षण) नियम, 1986 के नियम 5 के उपनियम (3) सपठित पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) की धारा 6 और धारा 25 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, पर्यावरण (संरक्षण) नियम, 1986 में निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात्:—

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम पर्यावरण (संरक्षण) दूसरा संशोधन नियम, 2019 है ।

(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख से प्रवत्त होंगे ।

2. पर्यावरण (संरक्षण) नियम, 1986 की अनुसूची-I में, क्रम संख्यांक 113 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात् निम्नलिखित अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात्:—

क्रम सं.	**उद्योग**	**मानदंड**	**मानक**
(1)	(2)	(3)	(4)
"114	आटोमोबाइल सेवा स्टेशन, बस डिपो या कर्मशाला	(सांद्रता निर्धारण से अधिक नहीं होगी, पीएच के लिए सांद्रता को छोड़कर मि.ग्रा./ली में)	
		अंतर्देशीय सतही जल/सिंचाई के लिए भूमि/सार्वजनिक सीवर	
		पीएच	6.5-8.5
		कुल निलंबित ठोस	50
		केमिकल आक्सीजन डिमांड	150
		तेल और ग्रीस	10"

टिप्पण :

(i) सर्विस स्टेशन, बस डिपो और धातु पूर्व-शोधन सुविधाओं से युक्त कर्मशालाओं के लिए, घुले हुए फॉस्फेट (पी के रूप में) 5 मि.ग्रा./ली और जस्ते की 5 मि.ग्रा./ली. की सीमा भी लागू होगी ।

(ii) ठोस अपशिष्ट/परिसंकटमय अपशिष्ट, यदि कोई हो, को ठोस प्रबंध नियम, 2016 और परिसंकटमय और अन्य अपशिष्ट (प्रबंधन और सीमापार संचलन) नियम, 2016 के अनुसार निपटान किया जाएगा ।"।

[फा. सं. क्यू-15017/6/2010-सीपीडब्ल्यू]

जिगमेत टक्पा, संयुक्त सचिव

टिप्पण: मूल नियम भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (i) का.आ. संख्यांक 844(अ), तारीख 19 नवंबर, 1986 द्वारा और अंतिम संशोधन अधिसूचना संख्यांक सा.का.नि. 5(अ), तारीख 3 जनवरी, 2019 द्वारा किया गया था ।

MINISTRY OF ENVIRONMENT, FOREST AND CLIMATE CHANGE

NOTIFICATION

New Delhi, the 26th December, 2019

G.S.R. 952(E) .—Whereas, certain draft rules, namely the Environment (Protection) Amendment Rules, 2018 were published in the Gazette of India, Extraordinary, as required under sub-rule (3) of rule 5 of the Environment (Protection) Rules,1986, vide notification of the Government of India in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change, number G.S.R 1173 (E), dated 5th December, 2018 inviting objections and suggestions from all persons likely to be affected thereby within a period of sixty days from the dated on which copies of the Gazette containing the said notification were made available to the public;

And Whereas, copies of the Gazette containing the aforesaid notification were made available to the public on the 5th December, 2018;

And Whereas, objections and suggestions received from all persons and stakeholders in response to the aforesaid notification have been duly considered by the Central Government;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sections 6 and 25 of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986) read with sub-rule (3) of rule 5 of the Environment (Protection) Rules, 1986, the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Environment (Protection) Rules, 1986, namely:-

1. **Short title and commencement.**-(1) These rules may be called the Environment (Protection) Second Amendment Rules, 2019.

IndiaCode

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Environment (Protection) Rules, 1986, in Schedule-l, after serial number 113 and the entries relating thereto, the following shall be inserted, namely:-

S. No.	Industry	Parameter	Standard
(1)	(2)	(3)	(4)
"114	Automobile Service Station, Bus Depot or Workshop	**Effluent Standard** (Concentration not to exceed, in mg/l except for pH)	
		Inland Surface water/land for irrigation/Public Sewer	
		pH	6.5-8.5
		Total Suspended Solids	50
		Chemical Oxygen Demand	150
		Oil and Grease	10"

Note :

(i) For Service Stations, Bus Depots and Workshops with metal pre-treatment facilities, limit of 5 mg/l of dissolved phosphates (as P) and 5 mg/l of zinc shall also apply.

(ii) Solid Wastes/ Hazardous Waste, if any, shall be disposed off as per the Solid Waste Management Rules 2016 and the Hazardous and Other Waste (Management and Trans-boundary Movement) Rules, 2016.".

[F. No. Q-15017/6/2010-CPW]

JIGMET TAKPA, Jt. Secy.

Note: The principle rules were published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i) vide number S.O.844 (E), dated the 19th November, 1986 and last amended vide notification number G.S.R. 5 (E), dated the 3rd January 2019.

IndiaCode

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

MANOJ KUMAR VERMA Digitally signed by MANOJ KUMAR VERMA Date: 2019.12.27 22:40:41 +05'30'